

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF-----

J.M.F.C., Gohad, DIST-. Bhind (M.P)

Case No. 23/17 Ret

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

श्री १०५० गौड चौक

मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला सिविल कोर्ट

व/स

माताडीन

Name, parentage, caste and address of accused

माताडीन S/o बंशीलाल उम्र-65 साल

नि. - गौहद-चौक

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 06.01.17

मुकाम

गौहद-चौक रोड किनारे बेवकूफ

में आम रोड पर ठेका लगाकर करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

स्वीकार
कि मैं माताडीन

मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला सिविल कोर्ट

मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला सिविल कोर्ट


The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 25-2-17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(3) पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रुपये 50/- शब्दों में 4-41/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 05 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित


राजेश कुमार
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला जिला जिला जिला